उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 2285 / VII-1 / 2018 / 22 सोपस्टोन / 16
देहरादून, दिनांकः 26 दिसम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम तल्ला सन्यूड़ा में कुल 2.671 है० भूमि में सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु श्री किशोर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, ग्राम छड़ायलनायक, पो० हरिपुर नायक, तहसील हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के आवेदन पत्र दिनांक 23.9.2015 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1923 / VII-1 / 22–सोपस्टोन / 2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री किशोर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, ग्राम छड़ायलनायक, पो० हरिपुर नायक, तहसील हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम तल्ला सन्यूड़ा में 2.563 है० भूमि में 25 वर्ष की अवधि हेतु सोपस्टोन का खनन पट्टा हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–1392 / मु०ख० / 66 / बागे० / भू०खनि०ई० / 2016–17, दिनांक 14 सितम्बर, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में श्री किशोर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, ग्राम छड़ायलनायक, पो० हरिपुर नायक, तहसील हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम तल्ला सन्यूड़ा में आशय पत्र में स्वीकृत 2.563 है० क्षेत्रफल में सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.12.2016 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र में उल्लिखित पर्यावरणीय अनुमति को छोड़कर शेष शर्तों की अनुपालना किये जाने तथा आशय पत्र की अनुपालना में हुए लगभग 15 माह के विलम्ब का मर्षण करते हुए शासनादेश संख्या–121 / VII-1-17 / 68–ख / 2015, दिनांक 27 फरवरी, 2017 एवं उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम तल्ला सन्यूड़ा में आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र 2.563 है० के सापेक्ष सीमांकित कुल 2.261 है० भूमि में सोपस्टोन का 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि का खनन पट्टा निम्नवत् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :–

1	उपखनिज का नाम	सोपस्टोन
2	क्षेत्रफल	जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम तल्ला सन्यूड़ा में ज्येड ए की श्रेणी 1(क) की भूमि 2.143 है०, राज्य सरकार (बं०का०आ०) 0.115 है०, सार्वजनिक उपयोग की भूमि श्रेणी 0.003 है० **कुल 02.261 है०** एक संहत खण्ड में खसरा विवरण पत्र एवं मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
3	अवधि	खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 25 वर्ष
4	अपरिहार्य भाटक	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
5	स्वामित्व (रायल्टी)	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
6	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार

अतिरिक्त शर्तेः

7.1. शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

7.2 वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

7.3. पट्टाधारक को खनन के दौरान विलेख की शर्तो/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

7.4. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि 0.003 है० में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।

7.5 खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा एवं खनन कार्य से वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

7.6 पट्टाधारक को जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति (DEIAA) से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति (DEIAA) से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आवेदक को प्रस्तावित क्षेत्र में खनन करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

7.8. पट्टाधारक द्वारा जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति (DEIAA) द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो की अनुपालना किया जाना अनिवार्य होगा।

7.8 पट्टाधारक द्वारा अपरिहार्य भाटक की देयता पट्टा विलेख के दिनांक से देय होगी।

7.9. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू–स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।

7.10. स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

बृजेश कुमार सन्त
अपर सचिव

संख्याः 2285 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. श्री किशोर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, ग्राम छड़ायलनायक, पो० हरिपुर नायक, तहसील हल्द्वानी, जनपद नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार खनन पट्टा विलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार सन्त)
अपर सचिव

संख्याः 2561 /VII-1/2018/49–ख/17

प्रेषक,

बृजेश कुमार सन्त,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018

विषयः **श्री सत्यपाल पुत्र श्री हरिराम, ग्राम रामपुर रायघटी, तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार को जनपद हरिद्वार, तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 1.393 है० भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान हेतु पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) प्राप्त होने के उपरान्त चुगान पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–736/VII-1/57–ख/2013, दिनांक 03 अप्रैल, 2013 द्वारा निजी नाप भूमि में स्वीकृत होने वाली उपखनिज के खनन पट्टों में आशय पत्र जारी किये जाने का प्राधिकार जिलाधिकारी में निहित था। तत्क्रम में जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा पत्र संख्या–234/खनन सहा०–2015 (ई०आई०ए०), दिनांक 09 मार्च, 2015 द्वारा श्री सत्यपाल पुत्र श्री हरिराम, ग्राम रामपुर रायघटी, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार को जनपद हरिद्वार, तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 66/22 रकवा 0.287 है०, खसरा सं० 67/1 रकवा 0.113 है०, खसरा सं० 67/3 रकवा 1.106 है० कुल क्षेत्रफल 1.506 है० निजी नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान हेतु खनन/चुगान पट्टा स्वीकृति हेतु ई०आई०ए० नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत किया गया था।

2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र संख्या–924/खनन/हरि०/भू०खनि०ई०/2016–17, दिनांक 02 फरवरी, 2016 द्वारा श्री सत्यपाल पुत्र श्री हरिराम, ग्राम रामपुर रायघटी, तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार को आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 692–1(685)/2015, दिनांक 30 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति, आशय पत्र आदि की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री सत्यपाल पुत्र श्री हरिराम, ग्राम रामपुर रायघटी, तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार को आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र के सापेक्ष जनपद हरिद्वार, तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 66/22 रकवा 0.287 है० व खसरा सं० 67/3 रकवा 1.106 है० कुल क्षेत्रफल 1.393 है० एक संहत खण्ड नाप भूमि में उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के प्रावधानानुसार 01 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज के चुगान हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री सत्यपाल पुत्र श्री हरिराम, ग्राम रामपुर रायघटी, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार को जनपद हरिद्वार, तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 66/22 रकवा 0.287 है० व खसरा सं० 67/3 रकवा 1.106 है० कुल क्षेत्रफल 1.393 है० एक संहत खण्ड नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड के पत्र सं० 692–1(685)/2015, दिनांक 30 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति तथा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के प्रावधानानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन 01 (एक) वर्ष की अवधि हेतु चुगान पट्टा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र संख्या–692–1(685)/2015, दिनांक 30 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रदत्त अनुमति (Environment Clearance) में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम–17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से पर्यावरणीय अनुमति संख्या–692–1(685)/2015, दिनांक 30 अप्रैल, 2015 की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
3. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई–रवन्ना प्रपत्र एम०एम०–11 पट्टाधारक को निर्गत किया जाय।
4. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम–14 के प्रावधानानुसार पट्टाधारक के द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात उक्त विलेख का पंजीकरण कराने के उपरान्त खनन क्षेत्र से उपखनिज का चुगान प्रारम्भ किया जायेगा।
5. पट्टाधारक द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 के अनुपालन में स्वीकृत खनन क्षेत्र में पुल से 01 किमी० अपस्ट्रीम एवं 01 किमी० डाउनस्ट्रीम को छोड़कर खनन कार्य किया जायेगा।
6. पट्टाधारक के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं०–22(6) के अनुसार चुगान कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई में पंजीकरण कराया जाना होगा।
7. पट्टाधारक के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं०–22(3) के अनुसार चुगान पट्टा क्षेत्र के निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकांटा एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित किया जायेगा तथा रिकार्डिंग की सी०डी० प्रत्येक माह भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
8. प्रस्तावित स्थल का पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख से पूर्व उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं० 22(2) के प्रावधानानुसार खनन योजना का अनुमोदन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून से कराया जाना होगा।
9. पट्टाधारक स्वीकृत क्षेत्र से उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर का चुगान सतह से 1.5 मी० की गहराई अथवा ग्राउन्डवाटर लेवल जो भी न्यून हो, तक चुगान किया जायेगा।

10. प्रस्तावित स्थल से उपलब्ध उपखनिज की मात्रा का निर्धारण सीमाबन्धन के उपरान्त खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।
11. पट्टाधारक उपखनिज की निकासी का त्रैमासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र एम०एम०–12 में जिलाधिकारी कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत करेगा।
12. पट्टाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 तथा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. पट्टाधारक स्वीकृत खनन क्षेत्र से उपखनिज की निकासी/परिवहन निर्धारित ई–रवन्ना प्रपत्र एम०एम० 11 पर करेगा।
14. पट्टाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा जिससे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार सन्त)
अपर सचिव

संख्याः 2561 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र दिनांक 2.2.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री सत्यपाल पुत्र श्री हरिराम, ग्राम रामपुर रायघटी, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार सन्त)
अपर सचिव